न्यायालय श्री सिद्धार्थ पाण्डेय, न्या0 द0डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।
जी0आर0सं0–375/2019
विचारण सं0–2340/2019
देवकुण्ड थाना कांड संख्या :–24/2019
आदेश

24.10.2019 आवेदक पिकअप भान निबंधान संख्या–JH01CP7348 के स्वामी जितेन्द्र यादव के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–22.10.2019 पर अभिलेख्य आदेश हेतु नियत है । अभिलेख्य आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम, औरंगाबाद द्वारा कि0वि0सं0–68/2019 01/2019 में पारित आदेश दिनांक–30.09.2019 के तहत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–23.07.2019 को अपास्त कर दिया गया है । आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा वर्णित निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा । आवेदक पिकअप भान निबंधान संख्या–JH01CP7348, इंजन संख्या–TBH1E60454 एवं चेसिस संख्या–MA1ZN2TBKH1E44991 का स्वामी है । अतः आवेदक पिकअप भान मालिक जितेन्द्र यादव के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त पिकअप भान निबंधान सं0–JH01CP7348 देवकुण्ड थाना में जप्त है । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–23.07.2019 को अपास्त करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम, औरंगाबाद द्वारा निर्देशित किया गया है कि " Considering the facts and provisions of Section 457 this court ti of the opinion that Section 5(4) of the prevention of cruelty to Animals (Care and Maintenance Act of case Property Animals) Rules 2017 should be read with Section 457 of Cr.P.C. The same view has been expressed by Hon'ble Supreme Court in Tirth Kumar Sahu Vs. Sayed Shamim Quadari. If the petitioner is ready to provide maintenance amount for animals, his vehicle can be released on furnishing security. In case of failing to provide maintenance, or cost of expenses, his vehicle may by seized again. Such condition may be imposed before releasing the vehicle because vehicle is on loan and it will be against the natural justice to keep it seized. It is also against the general principle to keep the vehicle seized without any need in investigation. Although it is a case of special Act but the purpose of this Act to provide maintenance to animals can be served only when the vehicle shall be released.

So considering all the facts this court is of the view that the impugned order of the Ld. Magistrate is legal but improper. Hence, the court directs the lower court to pass a fresh order without being prejudiced by this order. " उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख्य पर उपलब्ध है । उक्त वाद में संज्ञान लिया जा चुका है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की की मूल प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निबंधान संख्या–JH01CP7348, इंजन सं0–TBH1E60454 एवं चेसिस सं0–MA1ZN2TBKH1E44991 है । उक्त वाहन का दुरूस्ती की वैधता दिनांक–29.08.2019 तक, कर की वैधता दिनांक–19.07.2019 तक, बीमा की वैधता दिनांकः–19.06.2019 की मध्य रात्रि तक है यानी तंदुरूस्ती, कर एवं बीमा की अवधि समाप्त हो गई है। आवेदक के द्वारा उक्त वाहन का परमिट की प्रति दाखिल नही किया गया है । उक्त वाहन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेज आवेदक को वापस दिया गया ।

लगातार

न्यायालय श्री सिद्धार्थ पाण्डेय, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।
जी0आर0सं0–375/2019
विचारण सं0–2340/2019
देवकुण्ड थाना कांड संख्या :–24/2019

लगातार

24.10.2019 थाना प्रभारी देवकुण्ड को निर्देश दिया जाता है कि वह पन्द्रह दिनों के अंदर इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित करें कि पशुओं के उपचार एवं देखरेख के लिए प्रति दिन के दर से कितना खार्च (विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर) वाहन मालिक को वहन करना होगा ।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के Tirth Kumar Sahu Vs. Sayed Shamim Quadari के अवलोकन तथा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम, औरंगाबाद के आदेश के आलोक में उक्त आवेदक जितेन्द्र यादव के पक्ष में उक्त जप्त पिकअप भान निबंधन सं0–JH01CP7348, इंजन संख्या–TBH1E60454, चेसिस संख्या–MA1ZN2TBKH1E44991 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में आवेदक जितेन्द्र यादव के पक्ष में उक्त पिकअप भान निबंधन संख्या–JH01CP7348 को मो0–600000X2 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, बीमा की प्रति, उक्त वाहन का चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने के समय दाखिल करेगा । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा की पशुओं के उपचार एवं देखरेख के लिए प्रति दिन के दर से जितना खार्च (विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर) आयेगा, वह वहन करेगा, उक्त वाहन की मुक्ति के पन्द्रह दिन के अंदर वह उक्त वाहन का कर भुगतान, तंदुरूस्ती, बीमा एवं परमिट की अद्यतन छायाप्रति दाखिल करेगा, वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहन के सम्बन्ध में जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी देवकुण्ड को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त मुक्ति आदेश निर्गत करें तथा देवकुण्ड थानाध्यक्ष को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु पत्र निर्गत करें ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।